Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 14-03-2006

Participants : Khanna Shri Avinash Rai

>

Title : Need to ensure effective implementation of labour laws in Border Roads Organisation.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज श्रमिकों का शोाण किया जा रहा है जैसे के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लाखों श्रमिकों को श्रम कानूनों से वंचित रखा जा रहा है। यहां तक की उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। श्रम मंत्रालय के चीफ लेबर कमिशन जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत इंस्पेक्शन करवा कर न्यूनतम वेतन की चोरी पकडते हैं और करोडों रूपये का भुगतान सरकार के खजानों में जमा है या मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के हुक्म फाइलों में बंद हैं इससे लाखों करोडों मजदूरों की मेहनत और पसीने की कमाइ सरकार की गलतियों के उनको उनको नहीं मिल पा रही हैं। जो सरकारी कर्मचारी श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनको सीआरपीसी की धारा 197 में उनके ऊपर मुकदमा चलाने की आज्ञा नहीं दी जा रही है। सो गैर सरकारी व सरकारी अधिकारियों जो श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको एक मापदंड में नहीं रखा जा रहा इसलिए श्रमिकों में इस शोाण के बारे में बहुत रोा व्याप्त है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में उचित कार्यवाही करें।